प्रेषक,

जयन्त नार्लिकर,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1- महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
लखनऊ ।

2- कुलसचिव,
किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय,
लखनऊ ।

3- निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2 **लखनऊः दिनांक 30 जनवरी, 2018**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2017-18 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में धनराशि की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-48/2017/1665/71-2-17-18/2012, दिनांक 13 जून, 2017 एवं शासनादेश संख्या-60/2017/3063/71-2-17-18/2012, दिनांक 31 अगस्त, 2017, शासनादेश संख्या-70/2017/ 3748/71-2-17-18/2012, दिनांक 26 अक्टूबर, 2017 तथा शासनादेश संख्या-98/2017/3250/71-2-17-18/2012 दिनांक 26 दिसम्बर, 2017 के क्रम में यह कहने का निदेश हुआ है कि असाध्य रोगों से पीडित मरीजों की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित संस्थानों/विश्वविद्यालय को उनके सम्मुख अंकित कुल धनराशि रू0 6,00,00,000/- (रूपया छः करोड़ मात्र) स्वीकृत किये जाने की राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0	मे0का0/संस्था/विश्वविद्यालय का नाम	धनराशि (लाख में)
1	किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, लखनऊ ।	300.00
2	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ ।	100.00
3	हृदय रोग संस्थान, कानपुर।	200.00
	योग-	**600.00**

2- अवमुक्त की जा रही धनराशि बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 में नहीं रखी जायेगी। धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उत्तर प्रदेश में असाध्य रोगों के निःशुल्क उपचार हेतु नियमावली-2013 (यथासंशोधित) में निहित व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- संस्थान/विश्वविद्यालय का यह दायित्व होगा कि रोगी के उपचार का समस्त व्यय वहन करने तथा उसकी प्रतिपूर्ति/समायोजन शासन द्वारा आवंटित बजट की सीमा तक ही करेंगे एवं किसी एक वित्तीय वर्ष की लम्बित धनराशि अगले वित्तीय वर्ष में अग्रेनीत नहीं की जायेगी।

5- अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य मद में धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता होगी।

6- उक्त मद में अगली किस्त तभी निर्गत की जायेगी जब निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा लाभार्थियों की सूची उपलब्ध करायी जायेगी।

7- वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

8- धनराशि को कोषागार से मेडिकल कालेज/संस्थान/विश्वविद्यालय के वित्त नियंत्रक/वित्त अधिकारी द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

9- उक्त व्यय वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-31-चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के लेखाशीर्षक-"2210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य-05-चिकित्सा,शिक्षा-प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-0368-असाध्य रोगों के इलाज हेतु नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा-20-सहायता अनुदान-सामान्य(गैर वेतन)" के नामे डाला जायेगा।

10- यह आदेश वित्त विभाग के आदेश संख्या-8/2017/बी-1-1190/दस-2017-231/2017, दिनांक 03 अगस्त, 2017 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिहित किये गये अधिकारों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(जयन्त नार्लिकर)
विशेष सचिव।

संख्या- 15/2018/430(1)/71-2-18-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. निदेशक, हृदय रोग संस्थान, कानपुर।
4. संबंधित कोषाधिकारी, कानपुर/लखनऊ।
5. संबंधित वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक।
6. वित्त ई-3/नियोजन अनुभाग-4/ (आय-व्ययक)-2
7. स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग उ0प्र0 लखनऊ।
8. प्रभारी अधिकारी, एन0आई0सी0, छठा तल, योजना भवन।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।